राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या—12/2015
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2015/00022
3. दायर दिनांक— 26.03.2015
4. निर्णय दिनांक— 25.04.2023

1. गिरिराज पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जाखोलाई तह0 रूपनगढ़

....वादी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र स्व0 श्री सोराम जाति जाट नि0 ग्राम घासलों की ढ़ाणी सुरसुरा तह0 रूपनगढ़
2. कैलाश पुत्र स्व0 भागीरथ जाति जाट नि0 ग्राम खाखडदी तह0 नावां जिला नागौर
3. रामलाल पुत्र स्व0 श्री भागीरथ जाति जाट नि0 ग्राम खाखडदी तह0 नावां जिला नागौर
4. कमला पत्नि रामलाल जाति जाट नि0 ग्राम पानवा पोस्ट मरवा तह0 दूदू जिला जयपुर
5. श्रीमती मनभरी पत्नि स्व0 श्री भागीरथ जाति जाट नि0 ग्राम खाखडदी तह0 नावां जिला नागौर
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
7. उपपंजीयक रूपनगढ़

....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 रा0का0धि0

उपस्थिति—: 1. श्री अरविन्द दाधीच अधि0 वादी

2 रामधन पोषक, महेन्द्र डाबरिया अधि0 प्रतिवादीगण

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के कब्जे काश्त की ग्राम जाखोलाई के वादग्रस्त ख0न0 131, 135, 136 कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वां भूमि में से 1/10 हिस्सा निहित है। वादी ने उक्त वादग्रस्त ख0न0 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के पिता, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा श्री सोराम वल्द कालू जाट व प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2001 को कय की थी और श्री सोराम से उनके निहित 1/10 हिस्सा भूमि का कब्जा प्राप्त किया था। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के पिता, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर का उक्त वादग्रस्त भूमि से राजस्व रिकार्ड के अनुसार 1/10 हिस्सा खातेदारी में दर्ज था और उक्त 1/10 हिस्सा भूमि वादी को विधि अनुसार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2001 के बैचान कर वादी को कब्जा संभलाया था। वादी का वादग्रस्त ख0न0 131, 135, 136 में से 1/10 भूमि पर दिनांक 28.06.2001 से निरन्तर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का उक्त आराजी के 1/10 हिस्से भूमि पर विधिक स्वत्व व अधिकार उत्पन्न हो गया है। वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2001 के आधार पर वादग्रस्त भूमि के 1/10 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। सोराम वल्द कालू जाट का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या 5 के ससुर ने अपने जी[illegible] वादग्रस्त ख0न0 131, 135, 136 में से निहित अपने 1/10 हिस्से भूमि का बैचान ज[illegible] रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 28.06.2001 को किया। वादी को हस्तान्तरित करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का वादग्रस्त ख0न0 131, 135, 136 के 1/10 हिस्से की भूमि पर कोई विधिक हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादग्रस्त भूमि ख0न0 131, 135, 136 के 1/10 हिस्से की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण अपने पक्ष में स्वीकृत कराने के लिये प्रयत्नशील है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 6 के समक्ष दिनांक 16.12.2014 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त खसरा नम्बरान के 1/10 हिस्से की भूमि का नाम दर्ज करवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए प्रतिवादी संख्या 6 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है।

25.4.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:49:06 IST
Reason: Self Attested

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी को वादग्रस्त भूमि के उपयोग, उपभोग में निरन्तर बाधाकारित करते है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ताकि वादी के वादग्रस्त भूमि के 1/10 हिस्सा भूमि के कब्जे काश्त में बाधा कारित उत्पन्न न हो। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को दिनांक 15.12.2014 को विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2001 की प्रति दिखाकर यह आग्रह किया कि श्री सोराम जाट ने अपने जीवनकाल में ही अपना 1/10 हिस्से का बैचान कर दिया है इस कारण अब तुम्हारा कोई हक व अधिकार नहीं है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और वादी को एलानियां धमकी दी वादग्रस्त भूमि को काश्त करने की कोशिश की तो गम्भीर परिणाम हो सकते है इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार रूपनगढ (प्रतिवादी संख्या 6) की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ के जवाब अनुसा ग्राम जाखोलाई की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 124 में ख0न0 131, 135, 136 कुल किता 3 कुल रकबा 25–10 बीघा मोहन, गणेश, अमरचन्द पि0 रामकरण हि0 2/45, दाना पुत्र भंवरिया हि0 1/18, सूरजकरण पुत्र कालू हि0 1/10, किशना पुत्र सोराम हि0 1/30, कमला पुत्री सोराम हि0 1/30, मनभर देवी पत्नि भागीरथ, कैलाश, रामजीलाल पुत्र भागीरथ, इन्द्रादेवी, सरोज देवी पुत्रियां भागीरथ हि0 1/30 हि0ब0 पन्ना वल्द लादू, रामेश्वरी पुत्री लादू हि0ब0हि0 1/10, चौथूड़ी पत्नि हीरा हि0 1/10, श्रवण पुत्र भीवा हि0 5/64, भंवरी फुमा, कंवरी पुत्रियां भोमा हि03/64, गंगाराम पुत्र मगना हि0 1/8, मंगलाराम, जीवणराम , रामू पि0 हरलाल, सायर मोकल पुत्रिया हरलाल हि0ब0 1/4 कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन गंगाराम का 1/8 हि0 बी0आर0के0जी0बी0 शाखा नोसल के नाम रिकार्ड में दर्ज है।प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। वादी की ओर शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया, जिस पर वादी के बयान लिये गये। वकील वादी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा दिनांक 28.06.2001 को जरिये विक्रय पत्र वादग्रस्त भूमि का 1/10 हिस्सा श्योराम पुत्र कालू जाट से क्रय किया था, जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो पाया। विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक से उक्त रकबे के हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मुताबिक विक्रय पत्र के वादी को वादग्रस्त भूमि के 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इसी क्रम में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में किसी प्रकार का कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम जाखोलाई के ख0न0 131, 135, 136 कुल किता 3 का कुल रकबा 25–10 बीघा भूमि में वादी को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे। डिक्री हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट–कोटड़ी में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukharam
Date: 2023.08.24 13:49:06 IST
Reason: SelfAttested

25.4.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 12/2015

1. गिरिराज पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जाखोलाई तह0 रूपनगढ़

....वादी

बनाम

2. किशनाराम पुत्र स्व0 श्री सोराम जाति जाट नि0 ग्राम घासलों की ढ़ाणी सुरसुरा तह0 रूपनगढ़
3. कैलाश पुत्र स्व0 भागीरथ जाति जाट नि0 ग्राम खाखडदी तह0 नावां जिला नागौर
4. रामलाल पुत्र स्व0 श्री भागीरथ जाति जाट नि0 ग्राम खाखडदी तह0 नावां जिला नागौर
5. कमला पत्नि रामलाल जाति जाट नि0 ग्राम पानवा पोस्ट मरवा तह0 दूदू जिला जयपुर
6. श्रीमती मनभरी पत्नि स्व0 श्री भागीरथ जाति जाट नि0 ग्राम खाखडदी तह0 नावां जिला नागौर
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
8. उपपंजीयक रूपनगढ़

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस. व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जाखोलाई के ख0न0 131, 135, 136 कुल किता 3 का कुल रकबा 25–10 बीघा भूमि में वादी को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के बाद वाद डिक्री हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 25.04..2023 को जारी की गई।

25.4.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:49:06 IST
Reason: SelfAttested